

फा.नं.234503000672011

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम  
श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट म.प्र.**

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 223 / 2011

संस्थित दिनांक 26.04.2011

फा.नं.234503000672011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखंड,  
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन।

**विरुद्ध**

1. जाहुर खां पिता हामीद खां, उम्र-45 साल,  
निवासी ग्राम पोंडी थाना महाराजपुर हाल कंपाउन्डरटोला,  
बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट। (फौत)
2. बैजनाथ पिता बाल गोविन्द, उम्र-50 वर्ष,  
निवासी हाथीताल कालोनी जबलपुर जिला जबलपुर।

.....अभियुक्तगण।

--:: निर्णय ::--::

**दिनांक 30.08.2017 को घोषित:-**

**01-** अभियुक्त बैजनाथ के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 एवं 39/192 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-18.09.2011 को शाम के 05:30 बजे ग्राम किनिया चेतनसिंह मरकाम के मकान के सामने बैहर पाथरी रोड लोकमार्ग पर वाहन 407 बस क्रमांक सी.जी. 07/सी.0118 को यह जानते हुए कि वाहन चालक जाहुर खां के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया, उक्त वाहन को बिना वैध बीमा एवं रजिस्ट्रेशन कराये चलवाया।

**02-** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मर्ग क्रमांक 11/11 धारा-174 जा.फौ. की जांच पर ग्राम किनिया गया था। जांच दौरान प्रार्थी मुस. सोमबतीबाई, मुस. सोनकिबाई, भगवनसिंह, देवीसिंह को बुलाकर पूछताछ कर उनके कथन लेखबद्ध किये गये, जिसमें उन्होंने बताया कि होली त्यौहार के पूर्व दिन शुक्रवार दिनांक 18.03.2011 के करीब 5:30 बजे मृतक जंगली धुर्वे गाय ढूंढने निकला था, उसी समय बैहर अडोरी बस 407 नंबर सी.जी.07सी.0118 का चालक जाहुर भाईजान तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मंदिर घर चेतन धुर्वे के सामने अगले चके से एक्सीडेंट कर दिया था और उसी बस से आहत जंगली धुर्वे को अस्पताल बैहर उपचार हेतु लाया गया था। उपचार के दौरान आहत जंगली धुर्वे फौत हो गया था, जिसकी पंचनामा कार्यवाही व पी.एम. कार्यवाही की गई। विवेचना दौरान मर्ग जांच के आधार पर आरोपी द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से उसके विरुद्ध धारा 304ए भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रार्थी, गवाहों के कथन, मौका नक्शा, वाहन परीक्षण, जप्ती एवं गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। आरोपी को जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत

फा.नं.234503000672011

चालान नंबर 21/11 तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

**03—** प्रकरण में अभियुक्त जाहुर खॉ की मृत्यु हो जाने के कारण उसके विरुद्ध प्रकरण का उपशमन कर दिया गया है तथा अन्य अभियुक्त बैजनाथ को मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 तथा 39/192 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र. सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक-18.09.2011 को शाम के 05:30 बजे ग्राम किनिया चेतनसिंह मरकाम के मकान के सामने बैहर पाथरी रोड लोकमार्ग पर वाहन 407 बस क्रमांक सी.जी.07/सी.0118 को यह जानते हुए कि वाहन चालक जाहुर खां के पास वाहन चलाने का लायसेंस नहीं है, फिर भी उक्त वाहन उसे चलाने हेतु दिया ?

2. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर उक्त वाहन को बिना वैध बीमा एवं रजिस्ट्रेशन कराये चलवाया ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-01 व 02 का निष्कर्ष :-

**नोट—**साक्ष्य की पुनरावृत्ति तथा सुविधा की दृष्टि से दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05—** साक्षी भगवन सिंह अ0सा0-01 ने कहा है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी सोमबतीबाई को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी है। वह घटना दिनांक को ग्राम भण्डेरी गया था, तब उसे उसकी माँ ने फोन पर बताई थी कि उसके मामा जंगलीसिंह का एक्सीडेंट हो गया है। वह देखने के लिये जा रहा था, जो रास्ते में ही मिले, उसे बैहर अस्पताल ला रहे थे। अस्पताल में उसके मामा जंगली फौत हो गये थे। मृतक जंगलीसिंह का नक्शा पंचायतनामा पुलिस ने उसके समक्ष तैयार किया था, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने जंगलीसिंह का मृत्यु पंचनामा प्र.पी.02 उसके समक्ष तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटना के संबंध में बयान दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक 18.03.2011 के साढ़े पांच बजे की है, जब वह अपने घर पर था, उसी समय चालक जाहुर खां वाहन को तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर मंदिर वाले मकान चेतन के घर के सामने उसके मामा जंगलीसिंह का एक्सीडेंट कर दिया था, किन्तु यह अस्वीकार किया कि उसने पुलिस को गाड़ी का नंबर बताया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जंगलीसिंह को चालक ने अपने वाहन के अगले चक्के में दबा दिया था, जिसे घटनास्थल पर उपस्थित सोमबती एवं अन्य लोगों निकाले थे तथा बस चालक की लापरवाही से उक्त दुर्घटना हुई थी, जिसके कारण उसके मामा की मृत्यु हो गई थी।

फा.नं.234503000672011

प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि वह दुर्घटना के समय ग्राम भण्डेरी में था। उसकी माँ ने उसे फोन करके बताई थी कि उसके मामा का बस से एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी घर आ जा। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखा था। उसके पुलिस कथन में बस का चालक जाहुर भाईजान तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक बस चलाकर मंदिर वाले मकान चेतन के घर के सामने मामा जंगलीसिंह का एक्सीडेंट कर दिया है, हल्ला सुनकर जाकर उसने देखा के कथन लिखे है, जो गलत है, क्योंकि वह घटना के समय गांव में नहीं था तथा गांव में घटना के समय उपस्थित नहीं होने के कारण घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

**06—** साक्षी सोनकीबाई अ.सा.02 ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग तीन साल पुरानी है। घटना के समय वह पानी लेने जा रही थी, तब बस वाले ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी थी, जिससे वह घायल हो गया था। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ की थी और उसने घटना के संबंध में बताई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय वह बस से दूर थी, किन्तु यह अस्वीकार किया कि घटना दूर हुई थी, इसलिये नहीं देखी थी। साक्षी के अनुसार वह बस के पीछे थी और एक्सीडेंट बस के सामने से हुआ था, इसलिये दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी वह नहीं बता सकती।

**07—** साक्षी सोमबतीबाई अ.सा.03 ने कहा है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी जाहुर खां को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग चार साल पुरानी है। घटना दिनांक को उसका भाई जंगलीसिंह गाय को लेकर आ रहा था, उसी समय बस के चालक ने टक्कर मार दिया था, फिर उन लोगों ने बैहर अस्पताल लेकर आये थे। अस्पताल में उपचार के बाद जंगली की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने घटना के संबंध में पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उसने घटना के संबंध में बयान दिया था। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कथन किया है कि उसने दुर्घटना होते नहीं देखी थी, इसलिये यह नहीं बता सकती कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी तथा मौका नक्शा उसके समक्ष नहीं बनाया गया था।

**08—** साक्षी महेन्द्र अ.सा.04 ने कहा है कि वह आरोपी जाहुर खां को जानता है, जो बस का ड्रायवर था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी जाहुर खां से कोई जप्ती नहीं की थी, किन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके समक्ष पुलिस ने आरोपी जाहुर खां को गिरफ्तार नहीं की थी, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी जाहुर खां 407 बस चलाता था, किन्तु यह

फा.नं.234503000672011

अस्वीकार किया कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी जाहुर खां से एक बस क्रमांक-सी.जी.07सी.01118 जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के अनुसार जप्त की थी तथा पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि प्र.पी.03 एवं प्र.पी.04 के दस्तावेजों पर पुलिसवालों ने पुलिस थाना में किस बाबद् हस्ताक्षर करवाये थे, उसे नहीं मालूम।

**09—** साक्षी दुखसिंह अ.सा.05 ने कहा है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता है। उसके सामने आरोपी जाहुर खां से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई थी, जो प्र.पी.03 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना दिनांक 18.01.2011 को आरोपी जाहुर खान से उसके समक्ष एक 407 बस क्रमांक-सी.जी.07सी.01118 जप्त हुई थी तथा पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से ड्रायविंग लायसेंस और वाहन से संबंधित दस्तावेज जप्त किये थे।

**10—** साक्षी देवीसिंह अ.सा.06 ने कहा है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से करीब दो-ढाई वर्ष पूर्व शाम साढ़े पांच बजे ग्राम कीनिया की है। आहत जिसका नाम उसे आज ध्यान नहीं है अपनी गाय लेकर घर की तरफ लोट रहा था, तभी बैहर से पाथरी की ओर आ रही बस, जिसे आरोपी जाहुर खान चला रहा था। बस को तेजगति से चलाकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे बस का सामने का पहिया आहत के पैर पर से गुजर गया। आवाज होने पर गांव के अन्य लोग पहुँचे, जिसके बाद उन लोग आहत को लेकर उसी बस में बैहर अस्पताल भर्ती कराये। इलाज के दौरान आहत की रात्रि साढ़े दस बजे मृत्यु हो गयी। घटना आरोपी ड्रायवर की गलती से हुई, क्योंकि वहाँ पर मृतक अपनी गाय लेकर आ रहा था, उसके बाद भी ड्रायवर ने गाड़ी की गति कम नहीं की। मुझे आज वाहन का नम्बर ध्यान नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना दिनांक 18.03.2011 की है तथा आरोपी ड्रायवर जाहुर खान द्वारा 407 बस क्रमांक सी.जी.07सी.01118 को तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर जंगली धुर्वे का एक्सीडेंट कर दिया था। प्रतिपरीक्षण ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि उसके पुलिस थाना बैहर में पुलिस द्वारा कथन घटना के दिन ही लिये गये थे। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसके कथन बारह-तेरह दिन बाद लिये गये थे। उसके पुलिस कथन प्र.डी01 में दिनांक 18.03.2011 दिन शुक्रवार के करीब 5:30-6:00 बजे वह अपने घर पर था, मंदिर वाला मकान चेतन मसराम के घर के सामने एक्सीडेंट हो गया है, का हल्ला हो रहा था, तब वह उसी समय



फा.नं.234503000672011

आकर देखा के कथन, उसने पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिखे हैं, इसका वह कारण नहीं बता सकता।

**11—** साक्षी देवीसिंह अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया कि मृतक जंगल सिंह बहरा व्यक्ति था, उसको कान में कम सुनाई देता था, बस जिस समय गांव से गुजर रही थी, ड्रायवर ने हॉर्न बजाया था, हॉर्न उसने भी सुना था, मृतक बहरा व्यक्ति होने के कारण बस का हॉर्न नहीं सुन पाया और जानवरों को हटाते समय बस से टकरा गया था। किसी जानवर को चोट नहीं आयी थी, बस प्रतिदिन जिस गति से चलती है, उसी गति से चल रही थी। साक्षी के अनुसार बस तेज गति से चल रही थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि कितनी गति को धीमी एवं कितनी को तेज कहते हैं, वह नहीं बता सकता। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को यह अस्वीकार किया कि वह घटना के समय मौके पर नहीं था तथा वह अपने घर पर था और वह घर पर था और हल्ला सुनकर आया था, यह कथन उसने पुलिस को बताया था, मौके पर उपस्थित होने तथा घटना देखने वाली बात वह आज न्यायालय में पहली बार बता रहा है, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन में न लिखी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। दुर्घटना के समय वह अकेला ही वहाँ था, आवाज सुनकर अन्य लोग भी वहाँ आ गये थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि शेष सभी लोग एक्सीडेंट सुनकर हल्ला होने के बाद आये थे। उसके पुलिस कथन प्र.डी01 में सोमवतीबाई, भगवानसिंह मौके पर उपस्थित थे, के कथन लिखे हुए हैं, जिसका वह कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया कि मृतक जंगल सिंह बहरा व्यक्ति था और बस का हॉर्न नहीं सुन पाया, जिसके कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई थी।

**12—** साक्षी अंजीराम मरकाम अ.सा.07 ने कहा है कि उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उसने किसी वाहन का परीक्षण नहीं किया था। उसे करीब आठ वर्ष पूर्व पाथरी चौकी वालों ने बस को कीनिया से चौकी ले जाने के लिये साथ में चलने को कहा था। इसके अलावा उसके घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि दिनांक 18.04.2011 को वाहन क्रमांक सी.जी.07सी.0118, चार सौ सात मिनी बस का परीक्षण किया था। वाहन परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। वह यह नहीं बता सकता कि उक्त दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर कैसे हैं। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि पुलिसवालों ने कोरे कामज पर थाने में हस्ताक्षर करवाये थे।

**13—** डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.08 ने कहा है कि वह दिनांक 18.03.2011 को सी.एच.सी., बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त

फा.नं.234503000672011

दिनांक को उसके द्वारा टी.आई. बैहर को एक तहरीर भेजी गयी थी, जिसमें लिखा था कि आहत जंगलसिंह पिता स्व० सोमाधुर्वे उम्र 60 साल निवासी किनिया को आई चोटों से भर्ती किया गया था। लाने वालों के अनुसार रोड़ एक्सीडेंट से चोट आयी थी। पेसेंट गंभीर था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक राजाबाबू नम्बर 61 द्वारा मुलाहिजा फार्म भरकर लाया गया था। आहत के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाया था। आहत को आई चोट क्रमांक-01 कटी-फटी चोट तिरछापन लिये हड्डी तक गहरायी लिये थी, चोट के उपर अत्यधिक मात्रा में रक्तश्राव एवं थक्का हुआ ब्लड होना पाया था, चमड़ी पलट गयी थी। उक्त चोट बायें जांघ पर अंदर की तरफ पाया था। आहत को आई चोट क्रमांक-02 कंट्यूजन तिरछापन लिये अनियमित किनारे लालीमा लिये हुये था। उक्त चोट दाहिने सिर के दाहिने भाग पर पाया था। आहत को आई चोट क्रमांक-03 खरोच के निशान अनियमित किनारे, चमड़ी निकल गयी थी। उक्त चोट दाहिने हाथ में अंदर की तरफ पाया था। आहत की जनरल कंडीशन वह भर्ती के समय होस में था, लेकिन बाद में अर्द्ध बेहोसी हालत में चला गया था। नब्ज 88 पर मिनट, रक्तचाप 110/10 मिलीमीटर आफ मरकरी, हृदय तंत्र एवं स्वसन तंत्र में अनियमिता आ गयी थी तथा उसके मतानुसार आहत को आई चोट क्रमांक-01 के लिये एक्स-रे की सलाह दी गई तथा शेष चोटें साधारण प्रकृति की थीं, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। चोट क्रमांक-03 खुरदुरी सतह से आ सकती थी, उसकी जांच के आठ घण्टे के अंदर की थी। चोट क्रमांक-01 को टांके एवं रिपेयर किया गया था। ऑब्जरवेशन हेतु भर्ती कर आगे ईलाज हेतु हड्डी रोग विशेषज्ञ को ईलाज हेतु रिफर किया गया था। उसके द्वारा पुलिस थाना बैहर में दुर्घटना की दी गयी सूचना प्र.पी05 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत जंगलसिंह की पुलिस थाना बैहर में मृत्यु की सूचना प्र.पी06 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतक जंगलसिंह की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्र.पी.07 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं आहत जंगलसिंह की मुलाहिजा रिपोर्ट प्र.पी08 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**14—** डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.08 के अनुसार दिनांक 19.03.2011 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था, उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक राजा शुक्ला नम्बर 61 द्वारा मृतक जंगलसिंह पिता स्व० सोमसिंह धुर्वे उम्र 60 साल निवासी किनिया का शव पोस्ट मार्टम हेतु लाया गया था, जिसे श्रीमती सोमवतीबाई एवं समारुसिंह द्वारा पहचाना गया था। उसके द्वारा शव का परीक्षण सुबह ग्यारह बजकर तीस मिनट पर प्रारंभ किया गया था। उक्त शव चित अवस्था में होना पाया था, शरीर के उपरी भाग में अकड़न प्रारंभ हो गयी थी। वह कपड़े पहने हुये था। मुँह और आंखें बंद थी, नाखुन पीले पड़ गये थे। मृतक के शरीर पर नि०लि० चोट पाया था। चोट क्रमांक-01 मृतक के शरीर पर कटी फटी चोट जिसमें की चमड़ी पलट गयी थी, जो कि हड्डी तक

फा.नं.234503000672011

गहरायी लिये हुये, तिरछापन लिये थी। चोट के नीचे अत्यधिक मात्रा में थक्का व खून होना पाया था, जो कि बटक कुल्हा से जांघ तक होना पाया था, चीरा लगाने पर अस्थिभंग होना पाया था। उक्त चोट जांघ पर बांये तरफ पाया था। चोट क्रमांक-02 कंट्यूजन तिरछापन लिए, अनियमित किनारे, उक्त चोट सिर के अग्र भाग पर दाहिने तरफ पाया था। चोट क्रमांक-03 एब्रेजन बर्टिकल चमड़ी निकल गयी थी, उक्त चोट दाहिने हाथ पर बाहर की तरफ होना पाया था। उक्त चोटे मृत्यु पूर्व की थी। चोट क्रमांक 01 व 02 कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती थी। चोट क्रमांक-03 कड़ी एवं खुरदुरी सतह से आ सकती थी। आंतरिक परीक्षण करने पर मृतक सामान्य कद काठी का था। खोपड़ी, कपाल, पदर्, पसली आंतो की झिल्ली, मुँह तथा ग्रासनली भीतरी और बाहरी जननेंद्रियां स्वस्थ पाया गि। सिल्ली मस्तिस्क, फेफड़े यकृत, प्लीहा, गुर्दा पीले पाये गये थे। हृदय में बहुत कम मात्रा में खून होना पाया था। मृतक के कपड़े जिसमें चड़ड़ी एवं धोती जिसमें खून लगे हुए थे, सुरक्षित कर संबंधित आरक्षक को सौंपा गया था। उसके मतानुसार मृत्यु का प्रकार सदमा होना पाया था, जो कि प्राण घातक चोट नंबर एक से उत्पन्न अत्यधिक रक्तस्त्राव से मृत्यु होना पाया था। मृत्यु उसके पोस्टमार्टम के 24 घण्टे के अंदर होना पाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आहत को आई उपरोक्त सभी चोटें सामान्य गति से चलते हुये कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाये, तो आना संभव है।

**15—** साक्षी रामकुमार ठाकुर अ.सा.09 ने कहा है कि वह दिनांक 18.03.2011 को चौकी पाथरी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रकरण क्रमांक 15/11 दिनांक 01.04.2011 की विवेचना उसके द्वारा की गयी है। उक्त प्रकरण में दिनांक 01.04.2011 को घटनास्थल पर उसके द्वारा घटनास्थल का मौकानक्शा प्र.पी10 बनाया गया है, जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में गवाह सोमतीबाई, सोनकीबाई, भगवनसिंह, देवीसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था, उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ा एवं छोड़ा नहीं था। दिनांक 18.04.11 को आरोपी के द्वारा पुलिस चौकी पाथरी में पेश करने पर एक 407 पुरानी बस पंजीयन क्रमांक सी.जी. 07/सी.ओ-0118 एवं वाहन के अन्य दस्तावेज ड्रायविंग लायसेंस साक्षियों के समक्ष जप्त किया था, जो प्र.पी03 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त वाहन का वाहन परीक्षण कराया गया था, आरोपी के विरुद्ध सबूत पाये जाने पर उसे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी04 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अनुसंधान प्रक्रिया पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन तैयार कर थाना प्रभारी मलाजखण्ड को चालान अग्रेषित किया था।

**16—** साक्षी रामकुमार ठाकुर अ.सा.09 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया कि उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष मौकानक्शा प्र.पी10 तैयार नहीं किया गया था, प्र.पी.10 में उसने साक्षियों से



फा.नं.234503000672011

दस्तखत पुलिस चौकी पाथरी में कराया था, साक्षी सोनकीबाई व सोमतीबाई घटना के समय उपस्थित नहीं थे, उनके कथन उसने अपनी मर्जी से लेखबद्ध किया है, प्र.पी03 एवं 04 में उसने पुलिस थाना में हस्ताक्षर कराया था, साक्षी महेन्द्र ने प्र.पी03 व 04 में किस बाबत हस्ताक्षर किया था, उसे नहीं बताया गया था, उसने साक्षी भगवनसिंह, रूखूसिंह के सामने वाहन एवं उनके दस्तावेज जप्त नहीं किया था, तथा उसने प्रार्थिया से मिलकर आरोपी जाहुर खान के विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार किया था।

**17—** प्रकरण में आरोपी चालक जाहुर खां की मृत्यु हो चुकी है तथा केवल वाहन मालिक बैजनाथ गुप्ता ही आरोपी शेष है। प्रकरण में केवल देवीसिंह अ.सा.06 ने आरोपी जाहुर खां द्वारा वाहन चलाने के कथन किये हैं। अन्य सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने घटना नहीं देखने के कथन किये हैं। यदि उक्त साक्षी पर विश्वास किया जावे, तब भी वाहन को आरोपी जाहुर खां द्वारा बिना लायसेंस, बीमा तथा रजिस्ट्रेशन के चलाने के संबंध में प्रकरण में कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विवेचक साक्षी राम कुमार ठाकुर अ.सा.09 ने भी अपनी साक्ष्य में ऐसे कोई कथन प्रकट नहीं किये हैं। ऐसी स्थिति में बिना किसी साक्ष्य के आरोपी वाहन मालिक के विरुद्ध कोई उपधारणा नहीं की जा सकती, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त बैजनाथ गुप्ता द्वारा घटना दिनांक को बिना बीमा तथा रजिस्ट्रेशन के वाहन को बिना लायसेंस वाले व्यक्ति से चलवाया। अतः अभियुक्त बैजनाथ गुप्ता को मोटर यान अधिनियम की धारा-5/180, 146/196 एवं 39/192 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**18—** अभियुक्त बैजनाथ प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त संबंध में धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

**19—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**20—** प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक सी.जी.07सी.0118 पुलिस चौकी पाथरी थाना मलाजखंड में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त वाहन अपील अवधि पश्चात वाहन के पंजीकृत स्वामी को नियमानुसार दिया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

सही /—

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

बैहर, बालाघाट (म.प्र.)